भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. 102*
(30 जुलाई, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए)

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत कार्य दिवसों में वृद्धि

*102. **श्री सुब्बारायण के:**

श्री सेल्वाराज वी:

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि कई राज्यों में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस) के अंतर्गत कामगारों को न्यूनतम 100 दिन का काम उपलब्ध नहीं कराया जाता है;

(ख) यदि हां, तो विगत पांच वर्षों के दौरान राज्य-वार औसतन कितने दिन का रोजगार प्रदान किया गया;

(ग) क्या सरकार की एक वर्ष में कार्य दिवसों को बढ़ाने और कामगारों की न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि करने की कोई योजना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
ग्रामीण विकास मंत्री
(श्री शिवराज सिंह चौहान)

(क) से (घ): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

लोक सभा में दिनांक 30.07.2024 को उत्तर देने के लिए नियत तारांकित प्रश्न संख्या 102 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) और (ख): महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (महात्मा गांधी नरेगा योजना) मांग आधारित मजदूरी रोजगार योजना है जिसमें प्रत्येक परिवार , जिसके वयस्क सदस्य स्वेच्छा से अकुशल शारीरिक श्रम करने के इच्छुक हैं , उन्हें प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों का गारंटीकृत मजदूरी रोजगार प्रदान करके देश के ग्रामीण क्षेत्रों में परिवारों की आजीविका सुरक्षा बढ़ाने का प्रावधान है। जब बेहतर रोजगार का कोई अवसर उपलब्ध नहीं होता है तब यह ग्रामीण परिवारों की आजीविका सुरक्षा के लिए रोजगार के अन्य विकल्प प्रदान करता है।

वर्ष 2019-20 से 2023-24 तक पिछले पांच वित्तीय वर्षों के दौरान महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत प्रति परिवार प्रदान किए गए रोजगार के औसत दिनों का राज्यवार ब्यौरा **अनुबंध** में दिया गया है।

(ग) और (घ): महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (महात्मा गांधी नरेगा), 2005 के मौजूदा प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक परिवार जिसके वयस्क सदस्य स्वेच्छा से अकुशल शारीरिक श्रम करने के इच्छुक हैं , उन्हें प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों का गारंटीकृत मजदूरी रोजगार प्रदान किया जा सकता है।

महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत कामगारों के लिए एक वर्ष में न्यूनतम गारंटीकृत दिवसों की संख्या बढ़ाने की कोई योजना नहीं है। तथापि, इस मंत्रालय ने वन क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति के प्रत्येक परिवार के लिए 50 दिनों के अतिरिक्त मजदूरी रोजगार (निर्धारित 100 दिनों के अलावा) का प्रावधान किया है , बशर्ते कि इन परिवारों के पास वन अधिकार अधिनियम (एफआरए) , 2006 के अंतर्गत प्रदत्त भूमि अधिकारों के अलावा कोई अन्य निजी संपत्ति न हो।

इसके अलावा , सूखा/प्राकृतिक आपदा प्रभावित अधिसूचित ग्रामीण क्षेत्रों में एक वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त 50 दिनों के मजदूरी रोजगार का प्रावधान है।

इसके अतिरितक्तन, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम , 2005 की धारा 3(4) के अनुसार , राज्य सरकारें अपनी निधियों से इस अधिनियम के अंतर्गत गारंटीकृत अवधि के अलावा अतिरिक्त दिनों का रोजगार प्रदान करने का प्रावधान कर सकती हैं।

इस अधिनियम की धारा 6(1) के अनुसार केन्द्र सरकार इसके लाभार्थियों के लिए मजदूरी दरें विनिर्दिष्ट करती है। ये दरें कृषि श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई-एएल) का उपयोग करके निर्धारित की जाती हैं। महात्मा गांधी नरेगा योजना के लाभार्थियों को मंहगाई से राहत देने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय सीपीआई-एएल में होने वाले परिवर्तनों के आधार पर वार्षिक रूप से मजदूरी दरों में संशोधन करता है और इसमें प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के पास केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित दरों से अधिक मजदूरी प्रदान करने का विकल्प होता है।

अनुबंध

लोक सभा में दिनांक 30.07.2024 को उत्तर देने के लिए नियत तारांकित प्रश्न संख्या 102 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

वर्ष 2019-20 से 2023-24 तक पिछले पांच वित्तीय वर्षों के दौरान महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत प्रति परिवार को प्रदान किए गए रोजगार के औसत दिनों का राज्यवार ब्यौरा						
क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	प्रति परिवार प्रदान किए गए रोजगार के औसत दिन				
		2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
1	आंध्र प्रदेश	49.59	54.41	51.66	52.27	54.89
2	अरुणाचल प्रदेश	48.63	56.75	61.18	55.8	59.8
3	असम	32.31	36.31	33.48	34.25	38.96
4	बिहार	42.02	44.65	37.75	47.16	45.77
5	छत्तीसगढ़	55.69	60.15	59.29	51.48	51.54
6	गोवा	20.01	26.28	28.56	25.5	20.68
7	गुजरात	43.19	42.52	49.67	45.31	49.55
8	हरियाणा	35.37	39.31	36.26	31.34	33.61
9	हिमाचल प्रदेश	48.41	52.81	52.48	47.6	51.08
10	जम्मू और कश्मीर	49.52	54.32	56.06	43.7	54.63
11	झारखंड	46.36	46.35	45.27	44.31	50.22
12	कर्नाटक	49.99	49.09	48.21	42.52	46.27
13	केरल	55.75	63.25	64.41	62.26	67.7
14	लद्दाख	61.25	65.7	59.78	57.86	62.34
15	मध्य प्रदेश	53.30	61.84	57.95	50.03	48.87
16	महाराष्ट्र	40.96	40.34	40.54	37.16	47.42
17	मणिपुर	43.23	60.4	54.5	20.76	31.37
18	मेघालय	73.23	71.53	73.72	60.35	66.56
19	मिजोरम	94.63	92.94	94.65	93.64	93.09
20	नागालैंड	35.47	45.91	46.48	46.78	43.9
21	ओडिशा	47.90	55.51	56.91	55.51	55.9
22	पंजाब	31.22	39.52	37.88	37.97	41.34
23	राजस्थान	58.96	61.06	59.92	56.28	58.75
24	सिक्किम	50.97	57.6	54.09	54.06	56.59

25	तमिलनाडु	43.99	50.22	50.95	50.96	59.44
26	तेलंगाना	43.20	50.77	50.31	44.56	47.72
27	त्रिपुरा	60.78	74.66	71.85	59.92	63.16
28	उत्तर प्रदेश	46.00	41.84	41.95	44.42	50.37
29	उत्तराखंड	40.90	46.42	42.42	41.2	41.75
30	पश्चिम बंगाल	49.89	51.98	47.94	23.24	21.69
31	अण्डमान और निकोबार	37.76	33.77	23.57	27.64	28.73
32	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	0.00	0	0	0	50.6
33	लक्षद्वीप	35.84	32.15	29.96	45.74	46.8
34	पुदुचेरी	19.32	22.06	16.02	19.61	41.7
	राष्ट्रीय स्तर	48.40	51.53	50.07	47.83	52.09

*****